	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 15.12.25 को पेश हो।	
12.25	पत्रावली पेश हुई S.D.O. साः मिटिंग मे पधारे है। ~~उभय पक्ष उप~~ [illegible] पुर्वानुसार दि[illegible] ~~14.1~~.26 को पेश हो।	
14.1.26	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा [illegible] स्थगन किया गया है। अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 29.1.26 को पेश की जावे	
29.1.26	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका था प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुनः आज दिन बहस सुनी गई प्रार्थी का प्रा. पत्र अ.धा. 251 ए. R.T.A का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। आदेश की तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	

ायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रा0पत्र संख्या :– 21 / 2024

1. किशनलाल पिता संग्राम गुजर निवासी धांतोल पोस्ट तुम्बडिया तहसील गंगरार
2. लाला पिता संग्राम गुजर निवासी धांतोल पोस्ट तुम्बडिया तहसील गंगरार

प्रार्थीगण

बनाम

1. पप्पु पिता उदा गुजर निवासी धांतोल पोस्ट तुम्बडिया तहसील गंगरार
2. मनीष पिता कन्हैयालाल सोनी निवासी बस्सी जिला चितौडगढ़
3. राजकुमार पिता रामचन्द्र सोनी निवासी बस्सी जिला चितौडगढ़

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री विजयकुमार भारद्वाज
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक :– 29.01.2026

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का दुगार में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 512 में आने जाने का कोई सुगम मार्ग नहीं है, इस भूमि पर आने जाने के लिए साडास –राजगढ मार्ग से आराजी संख्या 513 की पश्चिमी सीमा पर होकर 12 फिट चौडा रास्ता की आवश्यकता है जो आराजी संख्या 512 तक पहुंचेगा । इसके अलावा आराजी संख्या 512 तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है एवं यह ही निकटतम मार्ग है। प्रार्थीगण 12 फिट चौडा मार्ग स्थाई करा राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता अंकन कराना चाहते हैं।

यह कि आवेदक की आराजी संख्या 512 पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने का उक्त वर्णित के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, जिससे आराजी संख्या 513 की पश्चिमी सीमा पर 12 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है जो नियमानुसार दिलाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार सम्पूर्ण शुल्के जमा कराने का तैयार है। आवेदित रास्ता भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है एवं रास्ता ए से बी मार्क किया हुआ है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें प्रार्थीगण से नियमानुसार राशि जमा ली जाकर रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं मौके पर खुलवाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजयकुमार भारद्वाज ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किर निवेदन इस प्रकार किया कि कलम संख्या 1 में आवेदन प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 से 3 स्वीकार है। कलम 2 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संया 2 की उपकलम (11) की उपकलम (ग) एवं (घ) में अंकित आराजी में जो रास्ता प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया है उक्त आराजी में कभी प्रार्थीगण आये गये नहीं है एवं न ही वर्तमान में आ जा रहे है। प्रार्थीगण ने मनगढन्त तथ्य अंकित कर नया रास्ता हम विपक्षीगण की आराजी में चाहने हेतु झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण उनकी आराजी नम्बर 358, 335, 357, 334 जो कि विलानाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है में स्थित रास्ते का उपयोग एवं उपभोग कर अपनी आराजी नम्बर 512 में आ जा रहे है एवं अपनी आराजी की फाटक भी इसी रास्ते की तरफ लगा रखी है। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण की आराजी नमबर 513 में नया रास्ता कायम करवाना चाहते है जिसका उनको कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने रंजिश वश यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो हम विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया है एवं जबरन हमारी खातेदारी आराजी से रास्ता निकालने की गरज से प्रस्तुत किया है।

यह कि प्रार्थीगण उनकी आराजी संख्या 512 मे आने जाने के लिए बिलानाम भूमि जो कि प्रार्थीगण की आराजी के संस्पर्शी है में स्थित रास्ते की गडार बनी है उसका उपयोग उपभोग कर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

जा रहे है। प्रार्थीगण 12 फिट चोडा रास्ता होना अंकित करते है किन्तु मौके पर रास्ता विद्यमान है,जबकि पूर्व में ही जो रास्ता प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आने जाने के लिए उपयोग में ले रहे है वह 12–15 फिट चौडा रास्ता मौजुद है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से कपोल कल्पित कथन अंकर कर नया रास्ता विपक्षीगण की आराजी में कायम करवाना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी नम्बर 512 में आने जाने एवं गाडी ट्रेक्टर हल बैल फसल आदि लाने ले जाने हेतु मौके पर पूर्व से ही 12–15 फिट चौडा रास्ता मौजूद है और प्रार्थीगण इसी पूर्व में स्थापित रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी में आ जा रहे है व लोहे की फाटक लगा रखी है। विपक्षीगण की आराजी में अथवा आराजी की तरफ कोई रास्ता प्रार्थीगण का नहीं है।

यह कि आज दिनांक 1.04.2025 को पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि दिनांक 14.05.2024 को भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौके की रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत किया जाना जानकारी में आया । उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थीगण से मिली भगत कर एव हम विपक्षीगण को बिना सूचना दिये एवं बिना हमारी उपस्थिति के मनमर्जी अनुसार तैयार कर प्रस्तुत की है जो विधि विरूद्ध है तथा रिपोर्ट में गलत तथ्य अंकित कर प्रस्तुत की है उक्त रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पूर्व रास्ते बाबत कोई अंकन नहीं किया गया है जबकि मौके पर बिलानाम भूमि में प्रार्थीगण का आने जाने का रास्ता मौजूद है एवं रास्ते आलामात विपक्षी द्वारा प्रस्तुत छायाचित्रो में भी स्पष्ट है जिनका जानबूझ कर विपक्षीगण को नुकसान पहुचाने की गरज से भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने के आशय से प्रस्तुत की है एव तथ्यो को छुपाया गया है।

यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत गलत एवं तथ्यहीन रिपोर्ट के आधार पर यदि हम विपक्षीगण की आराजी मे से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो हम विपक्षीगण को भारी आर्थिक हानि होगी तथा हम विपक्षीगण हमारी खातेदारी की भूमि पर काश्त करने से भी वंचित हो जायेगें एव हमे अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में न्यायालय द्वारा रास्ता के सम्बन्ध मे पूर्व में ही मौका रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से तलब की गई जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा उनके पत्रांक 491 दिनांक 17.05.2024 के साथ रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत राजगढ ,मौका रिपोर्ट, नक्शा व राजस्व लेखाकर द्वारा प्रचलित डी.एल.सी. अनुसार राशि की गणना की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि आराजी संख्या 512 में पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ता अत्यधिक आवश्यक है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक नहीं है। आराजी संख्या 513 मे से होकर प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के न्यूनतम दूरी पर है। प्रस्तावित रास्ता हेतु आराजी संख्या 513 मे से 4 गुणा 350 यानि 1400 वर्गमीटर यानि 0.14 हैक्टर भूमि की आवश्यकता है जो उक्त नजरी नक्शा मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रस्तावित रास्ते अधीन अवधारित भूमि मे 17 देसी बबूल के पेड छोटे, 12 बडे एक खेजडी का पेड वडा एक खांखरा मध्यम आकार के 2 खजूर के पेड है।

प्राप्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित रास्ते के लिए डी.एल.सी. अनुसार राशि की गणना तहसील राजस्व लेखाकर द्वारा निम्न प्रकार से की गई :–

रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत राजगढ अनुसार ग्राम चावंडिया पटवार हल्का दुगार भू.अ.नि. राजगढ की आराजी संख्या 513 मे से 1400 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावति है।

पंजीयन की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित भूमि का मूल्य – डी.एल.सी.– 535174/–

डी.एल.सी. का दुगुना – 535174गुणा 2 यानि 1070348/–

प्रभावित काश्तकारो को देय मुआवजा राशि– 1070348/10000गुणा 1400 – 149850/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदारी	हिस्सा	राशि
1–	513	पप्पू पुत्र उदा गुर्जर	2/3	99900
2–	–"–	मनीष पुत्र कन्हैया	1/6	24975/–
3–	–"–	राजकुमार पुत्र सारगचंद्र	1/6	24975/–
			कुल–	149850/–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में जवाव प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रस्तुत ... पत्र 251 ए आर.टी.एक्ट पर उभयपक्ष की वहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी वहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के आधार पर करते हुए उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा चावण्डिया पटवार हल्का दुगार की आराजी संख्या 512 पर पहुचने के लिए विपक्षीगण के खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 513 जो कि प्रार्थीगण के अति निकटम आराजी होकर उनके कृषि आराजी तक पहुच के लिए निकटतम रास्ता कायम किये जाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। जबकि अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी वहस में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र महज विपक्षीगण को परेशान किये जाने एवं मनगढन्त तथ्यो पर आधारित होकर प्रस्तुत किया जाना वताया है, साथ ही बहस में बताया कि प्रार्थीगण पूर्व में ही विलानाम आराजी से होकर अपनी कृषि आराजी पर आते जाते रहे है, यदि विपक्षीगण की कृषि आराजी से रास्ता कायम किया जाता है तो विपक्षीगण को आर्थिक क्षति होगी, साथ ही पत्रावली में प्रस्तुत रास्ते की रिपोर्ट भी सही प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुने जाने एवं पत्रावली में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, इस सम्बन्ध में भूमिधारी के कथन कि प्रार्थीगण के कृषि आराजी पर पहुॅच के लिए आराजी संख्या 513 से होकर रास्ते के माध्यम से पहुॅच का रास्ता अति निकटतम है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत कोई भी खातेदार कृषक अपनी कृषि भूमि पर पहुॅच के लिए निकटतम मार्ग के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, रास्ते की रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ते के लिए भूमि आराजी संख्या 513 मे से रास्ता कायम किया जाने से प्रार्थीगण को निकटतम मार्ग उपलब्ध होता है, प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा राशि जो कि विपक्षीगण को प्रचलित डीएलसी दर से दिये जाने की राशि राजकोष में जमा कराने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण किशनलाल पिता संग्राम गुजर एवं लाला पिता संग्राम गुर्जर की कृषि आराजी मौजा चावण्डिया पटवार हल्का दुगार की आराजी संख्या 512 रकबा 3.0840 हैक्टर भूमि पर पहुॅच के लिए विपक्षीगण पप्पु पिता उदा गुजर, मनीष पिता कन्हैयांलाल सोनी ,राजकुमार पिता रामचन्द्र सोनी के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा चावण्डिया पटवार हल्का दुगार की आराजी संख्या 513 रकबा 9.5840 हैक्टर भूमि मे से 1400 वर्गमीटर यानि 0.14 हैक्टर भूमि सार्वजनिक रास्ते के लिए राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा रास्ते मे आने वाली भूमि के लिए नियमानुसार मुआवजा राशि 1,49,850/– रूपये तहसीलदार,बेगूॅ के राजकोष में जमा कराने पर उक्त रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जमा मुआवजा राशि का भुगतान तहसीलदार वेगूॅ विपक्षीगण को उक्त निर्णय में दिये गये विवरण अनुसार करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार वेगूॅ को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 29.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूॅ

सत्यमेव जयते

क्रमांक/रारिश्ता/2026/70 दिनांक :– 30.1.26

प्रार्थना पत्र संख्या 21/2024 व अनवान किशनलाल वनाम पप्पू वगै प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 ए में न्यायालय के आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूॅ को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूॅ